न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 29 / 2014

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1रतनलाल पुत्र श्री बीरबल पंवार जाति नाई निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर हाल निवासी हनुमान नगर, तकिया वार्ड, भंडारा तहसील व जिला भंडारा (महाराष्ट्र) 2रामकुंवार पुत्र बीरबल पंवार जाति नाई निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर हाल निवासी हनुमान नगर, तकिया वार्ड, भंडारा तहसील व जिला भंडारा (महाराष्ट्र)।		1हीरादेवी पुत्री झुमरराम पत्नी सत्यनारायण पंवार जाति नाई हाल निवासी रोल तहसील जायल। 2बकली पत्नी स्व. मिश्रीलाल जाति नाई निवासी ताउसर बास दोलसर तह. व जिला नागौर। 3फूला पुत्री स्व. मिश्रीलाल जाति नाई निवासी ताउसर बास दौलसर। 4गीता पुत्री स्व. मिश्रीलाल जाति नाई निवासी ताउसर बास दौलसर। 5रेखा पुत्री स्व. मिश्रीलाल जाति नाई निवासी ताउसर बास दौलसर। 6दशरथ पुत्र स्व. मिश्रीलाल जाति नाई निवासी ताउसर बास दोलसर। 7दिनेश पुत्र स्व. मिश्रीलाल जाति नाई निवासी ताउसर बास दोलसर। 8तहसीलदार, नागौर। 9रामप्रसाद पुत्र बीरबल पंवार जाति नाई निवासी रोल तह. जायल जिला नागौर हाल निवासी हनुमान नगर, तकिया वार्ड, भंडारा तहसील व जिला भंडारा (महाराष्ट्र) 10हीरालाल पुत्र बीरबल पंवार जाति नाई नि. रोल तहसील जायल जिला नागौर हाल निवासी हनुमान नगर, तकिया वार्ड, भंडारा तहसील व जिला भंडारा (महाराष्ट्र) 11रेखा पुत्री बीरबल पंवार पत्नी किशोर जी सांवडिया जाति नाई निवासी टेकडी रोड, सीताबरडी, नागपुर (महाराष्ट्र)

उपस्थिति :–

1. श्री दिनेश हेडा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 06.03.20

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा ग्राम ताउसर के नामान्तरकरण सं. 1646 निर्णय दिनांक 03.01.2008 से असंतुष्ट होकर दिनांक 21.03.2014 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 26.05.2014 मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में ग्राम ताउसर के नामान्तरकरण सं. 1646 दिनांक 03.01.08 की फोटोप्रति, ग्राम ताउसर के खसरा नं. 223 की जमाबंदी खतौनी की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 व 9 से 11 बावजूद सूचना के न्यायालय मे अनुपस्थित रहे तथा रेस्पोडेन्ट सं. 8 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

{2}(I)–वकील अपीलांट्स ने मियाद के बिंदु पर बहस शुरू करते हुए बताया कि उक्त म्यूटेशन जैर

अपर कलक्टर, नागौर

अपील पारित करते समय अपीलांट्स भंडारा मे निवास करते रहने से जानकारी नही हो सकी और आपसी रिश्तेदारी का मामला होने से इस विश्वास मे थे कि उनकी माता का नाम भी खातेदारी मे दर्ज करवा दिया होगा। क्योकि रेस्पोडेन्ट हीरा अभी भी अपीलांटस के पुश्तैनी मकान मे निवास करती है। जिससे वैश्वासिक संबंधो के रहते उक्त म्यूटेशन की जानकारी नही हो सकी। अभी अपीलांटस नागौर आये तो उन्होने जमाबंदी की नकल ली तो पता चला कि उनकी माता का नाम दर्ज ही नही है। तब उन्होने राजस्व रेकर्ड की नकले प्राप्त की तो दिनांक 14.03.14 की शाम को आदेश जैर अपील की जानकारी हुई। जिसके तुरंत बाद यह अपील पेश की। जो समयावधि के भीतर पेश की। फिर भी अपीलांटस के द्वारा वर्णित तथ्यो से विलंब जैसे तकनीकी बिन्दुओ को नजरअंदाज करते हुए मेरिट पर मामले को निस्तारित किया जाना न्यायसंगत है। जिससे अपीलांटस के द्वारा अपील पेश करने मे हुए विलंब को कन्डोन किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायसंगत है। जिस पर राजकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अपील 6 साल पश्चात प्रस्तुत की गई है। देरी के लिये प्रत्येक दिन का कारण बताना होता है। इसलिये मियाद के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है।

{2}(II)–आदेश जैर अपील विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

{2}(III)–म्यूटेशन जैर अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम व हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के विपरीत होने से प्रथम दृष्टया निरस्तनीय है।

{2}(IV)–रेस्पोडेन्ट तहसीलदार नागौर ने नामान्तरकरण आदेश जैर अपील पारित करते समय विधि अनुसार जांच नही की है और तथ्यो व विधि से परे जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। जो कि पूर्णतया गलत अनुचित व अवैध होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(V)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 7 व उनके पति व पिता मिश्रीलाल के द्वारा मिथ्या कथन करते हुए और तथ्यो को छिपाकर अपीलांटस की माता को झूमरराम की पुत्री होना जानते हुए भी इन तथ्यो को छिपाकर म्यूटेशन पारित करवाया गया है। जबकि झूमरराम के दोनो पुत्रियां अर्थात नर्मदादेवी उर्फ बाउडी देवी भी झूमरराम की पुत्री होने और प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होने से उसका भी झूमरराम की सम्पति मे बतौर उत्तराधिकार हक व हिस्सा बनता है। परंतु मिश्रीलाल व रेस्पोडेन्ट हीरा के द्वारा गलत प्रकार से अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस सं. 9 से 11 को खातेदारी अधिकार से वंचित रखने की नियत से उक्त म्यूटेशन जैर अपील पारित करवा दिया जो कि पूर्णतया विधि विरूद्व होने से खारिज होने योग्य है।

{2}(VI)–विवादित भूमि स्वीकृत रूप से झूमरराम की खातेदारी की भूमि रहती चली आयी है और झूमरराम का देहान्त आज से करीब 20–25 वर्ष पहले हो गया था। उस समय झूमरराम के विधिक उत्तराधिकारीगण उनकी दोनो पुत्रियां नर्मदा व हीरा तथा एक पुत्र मिश्रीलाल होने से तीनो संताने बराबर की हकदार थी। फिर भी इन तथ्यो को जानबूझकर छिपाया गया और म्यूटेशन जैर अपील पारित होते समय नर्मदा देवी के विधिक उतराधिकारीगण अपीलांटस व रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 11 होने से उनका हक व हिस्सा निहित होता था। फिर भी तहसीलदार नागौर ने इन तथ्यो के बाबत बिना कोई जांच किये केवल मात्र सरसरी तौर पर उक्त म्यूटेशन पारित किया है। जो खारिज होने योग्य है।

{2}(VII)–अपीलांटस महाराष्ट्र के भंडारा शहर मे निवास करते है और इसका नाजायज फायदा उठाकर म्यूटेशन आदेश जैर अपील पारित करवाया गया है और अपीलांटस की माता नर्मदा देवी का आज से करीब तीन साल पहले देहान्त हो चुका है। जिनके विधिक उत्तराधिकारीगण अपीलांटस व रेस्पोडेन्टस सं. 9 से 11 है। रेस्पोडेन्टस सं. 9 से 11 अपील पेश करने के समय उपस्थित नही होने से उनको औपचारिक रेस्पोडेन्टस बनाया गया है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2018(1) पेज 186, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8(क, धारा 9), आरआरडी 2011 पेज 275 एवं आरआरटी 2013(2) पेज 766 नजीरे प्रस्तुत की गइ।

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण जैर अपील जल चेतना द्वितीय चरण राजस्व अभियान – 2008 के तहत मजमे आम मे जांच की जाकर स्व. झूमर खातेदार के वारिसान पुत्र मिश्रीलाल व पुत्री हीरा के नाम नामान्तरकरण भरा गया है। जो विधिसम्मत होने से कायम रखा जाना चाहिये।

अपर कलक्टर, नागौर

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा ताउसर के नामान्तरकरण सं. 1646 दिनांक 03.01.2008 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे उतराधिकार के आधार पर नामान्तरकरण जैर अपील जल चेतना द्वितीय चरण राजस्व अभियान – 2008 के तहत मजमे आम मे जांच की जाकर स्व. झूमर खातेदार के वारिसान पुत्र मिश्रीलाल व पुत्री हीरा के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट सं. 9 से 11 स्व. झूमर के वारिसान मे आते हो तो अपने अपील कथन के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेजी आधार प्रस्तुत नही किये गय है। नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है। यदि उनका हक हिस्सा बनता हो तो नियमित न्यायालय मे चाराजोही करनी चाहिये। आदेश जैर अपील मे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे अपीलांट्स की अपील ठोस आधारो पर प्रतीत नही होती है इसके अलावा अपील 6 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है। देरी का कारण पर्याप्त नही है तथा इतनी लंबी देरी के लिये प्रत्येक दिन का कारण बताना आवश्यक होता है। ऐसी स्थिति मे मियाद के बिन्दु पर भी अपील चलने योग्य नही है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर